शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

मानव अधिकारों से सम्बन्धित मुख्य चुनौतियां और उनका समाधान

प्राप्तिः 18.11.2023
स्वीकृतः 24.12.2023

प्रो० निरंजना शर्मा
राजनीति शास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय खाड़ी (टि0ग0)
ईमेलः *dr.niranjanasharma@gmail.com*

76

सारांश

मानव समाज के इतिहास में अधिकारों की अवधारणा अत्यन्त प्राचीन है। मानव इतिहास के विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बिना साधरणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। विश्व के विभिन्न राज्यों में सांस्कषतिक पृष्ट भूमि वैधानिक व्यवस्था विचारधारा तथा आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में काफी अन्तर पाया जाता है अतः मानव अधिकार की निश्चित व्याख्या कठिन है। किन्तु यह तथ्य स्पष्ट है कि वे सभी अधिकार जो मानवीय गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है, मानव अधिकार कहलाते है। अधिकार मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं। जिनका उपयोग किसी भी जगह पर किया जा सकता है। इस विषय पर शोध पत्र लिखने का मुख्य कारण यह है कि 21वीं सदी में जबकि विश्व के सभी राष्ट्र लोकतान्त्रिक पद्धति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण करके स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय, कानून को सामाजिक व्यवस्थाओं में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहें है, उसके बाद भी मानवीय मूल्यों की क्षति सामाजिक स्तर पर देखी जा सकती है साथ ही राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में भी अनेक ऐसी घटनायें घटित होती है जो कि मानवीय संवेदनाओं को क्षति पहुंचाती है। अतः इसका उन्मूलन मानवीय अधिकारों से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान से ही है।

मानव अधिकार की भावना का प्रमुख तत्व विश्व बन्धुत्व की भावना पर आधारित है। मानवाधिकार का सम्बन्ध नागरिको व्यक्तित्व व विकास से सम्बन्धित हो मानव अधिकारो के माध्यम से रापह अपने विकास को गतिशील कर सकता है मानवीय अधिकार का स्वरूप प्राकृतिक है मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के कारण जन्मजात अहरणीय अधिकार होते है जो कि मूलवंश धर्म लिंग व राष्ट्रीयता के दायरे से ऊपर हो मानवीय अस्तित्व एवं मानवीय महिमा से सम्बन्धित ऐसे ही अहरणीय अधिकार कालानन्तर में मानव अधिकार में जाने गये ये अधिकार मानव के भैतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपर्युक्त स्थिति प्रदान करते है। मानव अधिकार वे अधिकार जो किसी को इसलिए प्राप्त होते है कि वह मनुष्य है मनुष्य जन्मजात अधिकार होते है इन्हीं जनपद से पृथक नहीं किया जा सकता मानव अधिकार के इसी महत्व का प्रतिपाद संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारो की घोषणा मानव अधिकार सार्वभौमिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार तथा मूल स्वतन्त्रताओं के लिए जाति लिंग भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के सम्बन्द्ध के लिए कापी करेगा मानव अधिकार सर्वोच्च है अतिक्रमण नहीं किया जा सकता व्यवहारिक अवधारणा पर

आधारित है। मानवीय अधिकारों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक अनेक विधिक तथा प्रभावी प्रयास किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के प्रयासों में तीव्रता आयी है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रयासों के बावजूद विश्व के विभिन्न भागों में व्यापक स्तर पर लोगों के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है अथवा मानव अधिकारों की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। सैद्धान्तिक रूप से सभी राज्यों की सरकारें एवं विश्व का आम जनमानस इस बात पर सहमत है कि विश्व के सभी मनुष्यों के मानवीय अधिकारों की समुचित सुरक्षा होनी चाहिये, लेकिन फिर भी विश्व भर में मानव अधिकारों के लिये अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं।

मानव अधिकार से सम्बन्धित चुनौतियाँ

1. मानव अधिकारों के बारे में समुचित जागरूकता का अभाव

मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिये यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानवीय अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानव अधिकारों के बारे में सम्यक् जानकारी नहीं होगी अथवा जब तक उसे मानव अधिकारों के महत्व का पता नहीं होगा तब तक वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पायेगा और सत्ताधारी या अन्य व्यक्ति उसके मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण करते रहेंगे।

2. आंतकवाद की समस्या

आंतकवाद किसी एक राष्ट्र विशेष की समस्या नहीं है बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। आज विश्व का कोई भी देश आतंकवाद की चुनौती से पूर्णतः मुक्त नहीं है, विश्व के विभिन्न देशों में विगत वर्षो में हुई घटनायें इस बात का प्रमाण है। आतंकवाद मानव अधिकारों के लिये बड़ी चुनौती है। आतंकवादी घटनाओं के कारण कई लोगों को अपने मानवीय अधिकारों से हाथ धोना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मानवीय अधिकारों से हाथ धोना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मानवीय अधिकार जीवन का अधिकार है। लेकिन आतंकवादी जब भी आतंक का कोई कार्य हैं तो उसकी चपेट में आने वाले लोगों को अपने इस अमूल्य जीवन के अधिकार से हाथ धोना पड़ता है। आतंकवाद स्वतन्त्रता, समानता, जीवन के अधिकार का प्रबल शत्रु है। मानव अधिकारों का उपभोग उसी समाज में संभव है, जहां शान्ति, सुरक्षा और सद्भावना का वातारण हो। आतंकवाद भय, डर और हिंसा के वातावरण का सृजन करता है, जिससे मानवीय अधिकारों के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है।

3. युद्ध अथवा युद्ध की संभावना

शान्तिपूर्ण व्यवस्था और समाज में मानव अधिकारों का पोषण एवं सम्बर्द्धन हो सकता है। जो देश युद्ध ग्रस्त अथवा युद्ध संलग्न रहता है, वहां मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। युद्ध में युद्धरत पक्षों द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनसे मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। युद्ध में हिंसा और बल का विपुल मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसका सर्वाधिक दुष्यप्रभाव मानव अधिकारों पर पड़ता है। इसी प्रकार जब राज्यों के मध्य युद्ध की संभावना बलवती होती है तो राज्यों का ध्यान युद्ध की तैयारी में केन्द्रित हो जाता है, उस स्थिति में मानव अधिकारों के संरक्षण का विषय गौण हो जाता है। स्पष्ट है युद्ध अथवा युद्ध की संभावना के कारण मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं हो पाता।

4. सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक विषमता

सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक विषमता मानवीय अधिकारों के संरक्ष में बाधक है। मानवीय अधिकारों का सम्बर्द्धन उसी समाज में हो सकता है, जहाँ सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक कुरीतियां न हो। समाज में जाति–पांति सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक कुरीतियां न हो। जिस समाज में जाति–पांति, छुआ–छूता, ऊंच–नीच, अमीरी–गरीबी और शोषक एवं शोषित आदि के भेदभाव आदि व्याप्त हो, उस समाज में व्यक्तियों के मानव अधिकारों का पोषण नहीं हो सकता।

5. भाषावाद और क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति

कुछ विशेष प्रकार की संकीर्णतायें मानव अधिकारों के पोषण में बाधक हैं। ऐसी संकीर्ण प्रवषत्तियों में भाषावाद और क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति मुख्य हैं। भाषावाद और क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियाँ विभाजनकारी होती हैं। इनसे प्ररित होकर व्यक्ति दूसरी भाषा बोलने वालों से अथवा दूसरे क्षेत्र के लोगों से घृणा करने लगता है। फलतः उसे दूसरे के मानव अधिकारों की चिन्ता नहीं रहती। इस प्रकार उग्र भाषावाद और क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति मानव अधिकारों के लिये बड़ी चुनौती है।

6. धार्मिक कट्टरता एवं साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति

धार्मिक कट्टरता एवं सामप्रदायिकता की प्रवृत्ति के कारण समाज में घृणा एवं विद्वेष के वातावरण का निर्माण होता है। इन प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरे धर्म एवं सम्प्रदाय के लोगों से द्वेष करने लगता हे। सम्प्रदायिकता के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धार्मिक कट्टरतरा एवं सम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति के कारण समाज में असन्तोष तथा अशान्ति का वातावरण पैदा होता है। ऐसे वातावरण में मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता।

7. निर्धनता और बेरोजगारी

कतिपय आर्थिक और सामाजिक समस्यायें मानव अधिकारों के मार्ग में बड़ी बाधायें है। ऐसी समस्याओं में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्यायें मुख्य हैं। ये समस्यायें मनुष्य के मूलभूत अधिकार जीवन के अधिकार को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्कता होती। एक निर्धन आवा बेरोजगार व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के भरण–पोषण के लिये ये साधन जुटाने कठिन होते हैं, जो कि सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के मानवीय अधिकार के लिये आवश्यक होते हैं। जब तक समाज के सभी लोग समान रू‍प से अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते।

8. अशिक्षा एवं अज्ञानता

मानवीय अधिकारों के सम्बर्द्धन एवं संरक्षण में अन्य बाधा अशिक्षा एवं अज्ञानता है। सामान्यता शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है अथवा वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है। जब कभी उसके अधिकारों का अतिक्रमण हाता है तो वह उसके विरूद्ध आवाज भी उठता है। निःसंन्देह शिक्षित व्यक्ति में अपने अधिकारों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता होती है। एक शिक्षित व्यक्ति यह भी जानता है कि अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में वह किस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिये प्रभावी पहल कर सकता है। परन्तु आज भी ग्रामीण समाज में अनेक लाग अशिक्षित हैं और मानवीय अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि प्रायः उनके अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वे अपने मानव अधिकारों की रक्षा के लिये पहल नहीं कर पाते।

9. अधिनायकवादी तथा साम्राज्यवादी विचारधारा

कुछ विचारधारयें अतीत में मानवीय अधिकारों के लिये बड़ी चुनौतियां रही हैं। ऐसी विचारधाराओं में अधिनायवादी, साम्राज्यवादी, फांसीवाद, निरंकुशवादी विचारधरायें आदि प्रमुख हैं। इतिहास साक्षी है कि अतीत में इन विचारधाराओं के कारण मानव अधिकारों का व्यापक रूप से शोषण हुआ। उदाहरण के लिये हिटलर का अधिनायकवादी प्रवृत्ति के कारण यहूदियों के मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। हिटलर, मुसोलिनी तथा तोजो की विस्तारवादी नीतियों के कारण असंख्य लोगों के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इन्हीं अधिनायकवादी शासकों के कारण विश्व को द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका का शिकार होना पड़ा जिसमें लाखों लोगों को अपनू मूलभूत अधिकारों से वंचित होना पड़ा। जब भी विश्व में इस प्राकार की विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ता है, आम लोगों के मानवीय अधिकारों के लिये भीण संकट उपस्थित हो जाता है।

10. दुर्बल समूहों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण की चुनौती

समाज में कुछ दुर्बल समूह पाये जाते है, जिनके मानवीय अधिकारों का संरक्षण सम्पूर्ण समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था के लिये हमेशा बड़ी चुनौती होते है। ऐसे समूहों में बच्चे, महिलायें, वृद्ध, दिव्यांग आदि कई समूह सम्मिलित हैं आये दिन बच्चों, महिलाओं, दिव्यागों आदि के मानव अधिकारों के अतिक्रमण किये जाने के समाचार पढ़ने, सुनने को मिलते हैं। यद्यपि इन सभी वर्गो के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाते रहे है, फिर भी इनके अधिकारों का उल्लघंन होता रहता है। अतः इन वर्गो के मानवीय अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना राजनीतिक व्यवस्था के लिये चुनौतीपूर्ण कार्य है।

11. जनसंख्या वृद्धि की समस्या

जनसंख्या में अनियन्त्रित वृद्धि के कारण भी मानवीय अधिकारों के लिये चुनौती उत्पन्न होती है। क्योंकि जनसंख्या में अनियन्त्रित वृद्धि के कारण अनेक लोगों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण सुरक्षा की समस्या भी उत्पन्न होती है। यदि जनसंख्या बहुत अधिक है तो सबके लिये भोजन, चिकित्सा, स्वस्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की सुविधायें जुटाना राज्य के लिये चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

12. प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी के प्रसार की समस्या

मानव अधिकारों के लिए उपरोक्त वर्णित कारण ही चुनौतियों के रूप में नहीं हैं, वरन् कई बार मानवीय अधिकार प्राकषतिक आपदाओं अथवा महामारी के प्रसार से भी व्यापक रूप से प्रभावित होते है। बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, दावाग्नि, बादल फटने, आकाशीय बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य के जीवन के अधिकार पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अकाल, अनावृष्टि, महामारी के फैलने से भी जीवन के अधिकार के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से केवल मनुष्य के मूलभूत जीवन का अधिकार ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भी इन घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित होते है।

मानव अधिकारों से सम्बन्धित चुनौतियों का समाधान

मानव अधिकारों सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते समान रूप से प्राप्त होते हैं। किन्तु कुछ चुनौतियों तथा समस्याओं के कारण सभी उनका समान रूप से उपभोग नहीं कर पाते। अतः

मानव अधिकारों से सम्बन्धित चुनौतियों तथा समस्रूाओं को न केवल समझा जाना आवश्यक है बल्कि उनके निराकरण के लिये ठोस तथा प्रभावी कदमों को उठाये जाने की भी आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखकर मानव अधिकार से सम्बन्धित चुनौतियों का काफी हद तक समाधान किया जा सकता हैः

1. मानव अधिकारों के प्रति आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये समय समय पर समाज में कार्यशालाओं एवं शिविरों को आयोजिता करना।
2. मानव अधिकार शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करना और कम से कम स्कूल स्तर तक पाठ्यक्रम में मानव अधिकार शिक्षा को सम्मलित करना।
3. सभी राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिये अपने राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त एवं प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता।
4. धार्मिक कट्टरता अथवा साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिये व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता।
5. स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नागरिक संगठनों को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु प्रेरित किये जाने की आवश्यकता।
6. संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में शिक्षण संस्थाओं में कार्यशालाओं को आयोजित करवाना।
7. जतिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि प्रवृत्तियों के विरूद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न किये जाने की आवश्यकता। लोगों को यह बताना अथवा समझाना कि ये सब संकीर्ण प्रवृत्तियां हैं और इनसे सामाजिक सौहार्द्र एवं राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
8. सभी व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न मानव अधिकार संस्थाओं को सभी राष्ट्रों द्वारा पूरा–पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्ररित किये जाने की आवश्यकता।
9. नस्लवाद अथवा नस्लीय भेदभाव को पनपने अथवा प्रसारित होने से रोकना।
10. सभी राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर गये उपायों के अनुसार अपने अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों के समाधान हेतु प्ररित किये जाने की आवश्कता।
11. मनव अधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर उन सभी उपायों को मूर्त रूप दिये जाने की आवश्कता जो देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार आवश्यक तथा वांछनीय प्रतीत हो।
12. दुर्बल समूहों यथा महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता ताकि इन वर्गों के लोग भी अपने मानव अधिकारों का उपभोग कर सकें।
13. पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल अथवा सुरक्षा कर्मियों को मानव अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक, सचेत और संवेदनशील बनाये जाने की आवश्कता।
14. लेगों के दृष्टिकोण को उदार बनाये जाने की आवश्कता ताकि वे संकीर्णताओं से मुक्त होकर दूसरों के मानक अधिकार से सचेष्ट तथा संवेदनशील हो सकें।

15. लोकतान्त्रिक विचारों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना। क्योंकि लोकतन्त्र में मानव अधिकारों के संरक्षण के पर्याप्त अवसर होते है।
16. मानवीय अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, सम्मेलनों, घोषणाओं तथा अपने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा समय–समय पर जो प्रावाधान किये गये हैं, ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।
17. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए ठोस कार्यनीति का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा प्राकृतिक आपदा स्थिति में आपदा प्रबंधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि राहत एवं बचाव का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि मानव अधिकारों से सम्बन्धित अनेक चुनौतियों तथा समस्याएं हैं जिसके कारण मानवीय अधिकारों का हनन अथवा अतिक्रमण होता है। यदि विभिन्न उपायों का ईमानदारी व निष्ठा से क्रियान्वयन किया जाता है तो मानव अधिकारों के उल्लंघन को बड़ी सीमा तक रोक कर ऐसा वातावरण सृजित किया जा सकता है जहां सभी के अधिकार सुरक्षित हो और सभी मनुष्य अपने मानवीय अधिकारों का समुचित रूप से उपभोग कर सकें।

सन्दर्भ

1. (1946). महासभा प्रस्ताव. 07 (01). 29 जनवरी।
2. (1948). महासभा प्रस्ताव. 217 क (111). 10 दिसम्बर।
3. (1948). मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा. अनुच्छेद 2.
4. (1966). आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संकल्प. 545 (XVIII). 16 दिसम्बर।
5. त्रिपाठी, तपेश्वरी प्रसाद. (2000). मानव अधिकार प्रथम संस्करण इलाहबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन. पृष्ठ **01.**
6. गैरोला, रामानन्द. (2006). अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार. प्रकाश बुक डिपोः बरेली. पृष्ठ **362.**
7. उपाध्याय, जय राम. (1999). मानव अधिकार (प्रथम संस्करण). पृष्ठ **21.**
8. गैरोला, रामानन्द. (2006). अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वितीय संस्करण. राधा पब्लिकेशनसः नई दिल्ली. पृष्ठ **234.**
9. (1993). मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम. अनुच्छेद 3(4).
10. गैरोला, रामानन्द. (2021). मानव अधिकार. प्रथम संस्करण. किताब महल पब्लिशर्स. पृष्ठ **194–95.**